



संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/पीपी&जीआर/ओआरडी/सीएमटी/67/4/2024 Ref No. IRDAI/PP&GR/ORD/CMT/67/4/2024 10 अप्रैल, 2024 10th April, 2024

<u>कार्यालय आदेश</u> OFFICE ORDER

1. बीमा लोकपाल नियम, 2017 के नियम 19 के अनुसार, समय-समय पर बीमा लोकपाल प्रणाली के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों के साथ सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया है।

In accordance with Rule 19 of the Insurance Ombudsman Rules, 2017, it has been decided to reconstitute Advisory Committee comprising of the following members to review the performance of the Insurance Ombudsman system from time to time.

क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	पदनाम Designation
1.	सुश्री शालिनी प्रसाद, पूर्व विशेष सचिव, नीति आयोग, भारत सरकार	अध्यक्ष
	Ms. Shalini Prasad, former Special Secretary, NITI Aayog, Government of India	Chairperson
2.	श्री राकेश जोशी, पूर्व पूर्णकालिक सदस्य, आईआरडीएआई	सदस्य
	Mr. Rakesh Joshi, former Whole-time Member, IRDAI	Member
3.	श्री कुलदीप सिंह, पूर्व बीमा लोकपाल और पूर्व निदेशक, न्यू इंडिया	सदस्य
	एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	Member
	Mr. Kuldip Singh, former Insurance Ombudsman & former Director, New India Assurance Co. Ltd	
4.	सुश्री पुष्पा गिरीमाजी, उपभोक्ता अधिकार अधिवक्ता	सदस्य
	Ms. Pushpa Girimaji, Consumer Rights Advocate	Member
5.	निदेशक, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
	Director, Ministry of Consumer Affairs, Government of India	Member
6.	विभाग प्रमुख, पॉलिसीधारक संरक्षण एवं शिकायत निवारण विभाग,	संयोजक
	आईआरडीएआई	Convener
	Head of the Department, Policyholders' Protection and Grievance Redressal Department, IRDAI	

2. विचारार्थ विषयः बीमा लोकपाल के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करना एवं बीमा लोकपालों की संस्था की कार्यकुशलता बढ़ाने से संबंधित अन्य विषय।

Terms of reference: To review the performance of the Insurance Ombudsman and other matters related to enhance efficiency of Institution of Insurance Ombudsmen.

3. **कार्यकालः** उक्त समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। **Tenure:** The tenure of the Committee will be two years. 4. **बैठकें:** उक्त सलाहकार सिमिति सामान्यतः वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी तथा सिमक्षार्थ और आवश्यक समझी गई आगे की कार्रवाई पर विचार करने के लिए वार्षिक आधार पर आईआरडीएआई को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

Meetings: The Advisory Committee will generally meet at least twice a year and will submit a report to IRDAI on annual basis for review and further action as deemed necessary.

- 5. गणपूर्ति (कोरम): तीन सदस्यों से कोरम बनेगी।

 Quorum: Three Members would constitute a quorum.
- 6. शुल्क और अन्य व्ययः अध्यक्ष और सदस्य आईआरडीएआई द्वारा गठित अन्य समितियों के समान ही बैठक शुल्क के अतिरिक्त यात्रा, भोजन और आवास के लिए पात्र होंगे।

 Fees and Other Expenses: The Chairperson and Members shall be eligible for travel boarding and lodging in addition to sitting fee at par with other committees constituted by the Authority.

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of the Competent Authority

> बी सी पटनायक / B C Patnaik) (सदस्य-जीवन / Member-Life)